भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

(रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक उद्यम)

विज्ञापन संख्या: 12949/जीएडी/एचआर/2024/01/रेव-01 दिनांक: 10.02.2025

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी और भारत की प्रमुख व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को निम्न स्थायी कार्मिकों की आवश्यकता है -

1. पद:

क्र. सं. (1)	पद/पद कोड (2)	अर्हता (3)	यूनिट /तैनाती का स्थान (4)	पदों की संख्या (5)	आरक्षण प्रतिमान (6)	ग्रेड/कैरियर पाथ /वेतन मान (7)
1	कनिष्ठ सहायक (मा.सं.)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 साल बीबीए/बीबीएम में स्नातक।	गाज़ियाबाद	10	अनारक्षित -6 ओबीसी-1 अनु. जाति -1 आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग -2	ग्रेड:वेज ग्रुप-IV/ कैरियर पाथ-V वेतनमान :रु. 21,500-3%-Rs.82,000/-+ स्वीकार्य भत्ते सकल वेतन व लाभ (सीटीसी) : रु. 5.94 लाख (लगभग)
			पंचकुला	01	अनारक्षित -1	
			कोटद्वार	01	अनारक्षित -1	

अभ्यर्थी केवल एक स्थान के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें ऑन लाइन आवेदन में उस यूनिट का चयन करना होगा जिसके लिए वे आवेदन कर रहे हैं। बहरहाल, चयनित अभ्यर्थी प्रबंधन के विवेकाधिकार के अनुसार किसी भी बीईएल यूनिट/कार्यालयों में तैनात किए जा सकते हैं।

नोट: शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरक्षण होगा।

2. पात्रता मानदंड:

2.1 राष्ट्रीयता-अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए।
2.2 अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
2.3 क) अधिकतम आयु सीमा (01.11.2024 को) निम्न होगी:

क्र.सं.	**पद**	अधिकतम आयु सीमा **(01.11.2024 को)**
1.	कनिष्ठ सहायक (मा.सं.)	28 वर्ष

निर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा सामान्य वर्ग तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों पर लागू होती है।

ख) ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्न होगी -

क्र. सं.	**वर्ग**	**आयु में छूट**
1	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर- क्रीमी वर्ग)	3वर्ष
2	अनुसूचित जाति	5वर्ष
3	शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (पीडबल्यूबीडी) न्यूनतम 40% अक्षमता के साथ	10वर्ष

ग) आयु में छूट के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी और लिखित परीक्षा के समय या/और सत्यापन की प्रक्रिया के किसी भी आगामी चरण में मूल रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

घ) आर्थिक रूप से पिछड़े/जाति/विकलांगता का प्रमाण-पत्र आवश्यक रूपसे बीईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में ही होने चाहिए अन्यथा, उम्मीदवारों को 'सामान्य श्रेणी' के तहत माना जाएगा बशर्ते कि वे सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अन्य सभी मानदंडों को पूरा करते हों।

ई) विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जिनके विकलांगता 40% की न्यूनतम श्रेणी से ऊपर है,उन्हें अनुसूचित जाति/ओबीसी पर लागू छूट के अतिरिक्त 10 (दस) वर्षों की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

ए) आयु में छूट सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों पर लागू होगी।

3.0 **शैक्षणिक योग्यता:**

3.1 क्रम सं.1.0-पदों के कॉलम (3) में उल्लिखित सभी शैक्षणिक योग्यताएं किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

3.2 केवल बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए)/बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट (बीबीएम) के रूप में निर्धारित योग्यता पर विचार किया जाएगा। निर्धारित योग्यता के समतुल्य योग्यता के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.3 अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने तथा अंकों के प्रतिशत के साक्ष्य के रूप में अनिवार्य रूप से अनंतिम/अंतिम डिग्री प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

3.4 यदि कोई विश्वविद्यालय/संस्थान सीजीपीए/डीजीपीए/ओजीपीए या लेटर ग्रेड की मूल्यांकन प्रणाली का अनुसरण करता है, तो अभ्यर्थी के लिए डिग्री प्रमाण-पत्र के साथ विश्वविद्यालय/संस्थान/महाविद्यालय द्वारा जारी प्रतिशतता (%) का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4.0 बीबीए/बीबीएम में न्यूनतम अंक –

Sl. No.	POST	Minimum Percentage of Marks
01	कनिष्ठ सहायक (मा. सं.)	सामान्य/ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग / ओबीसी -60% समग्र अनु. जाति / शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति - 50% समग्र

5.0 अनुभव: कोई नहीं

6.0 स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है:

क) गाजियाबाद यूनिट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का पंजीकरण उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यालय में होना चाहिए।

ख) कोटद्वार यूनिट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का पंजीकरण उत्तराखंड रोजगार कार्यालय में होना चाहिए ।

ग) पंचकूला यूनिट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का पंजीकरण हरियाणा रोजगार कार्यालय में होना चाहिए ।

नियोजन कार्यालय का पंजीकरण, आवेदन की अंतिम तिथि 25.02.2025 को वैध और सक्रिय होना चाहिए और यह पहले से पंजीकृत उम्मीदवारों पर भी लागू होगा। इसलिए, जिन अभ्यर्थियों दिनांक 26.11.2024 के अग्रिम आदेश संख्या 12949/जीएडी/एचआर/2024/01 के समक्ष पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

7.0 **चयन की विधि-**

कौशल परीक्षा (टाइपिंग टेस्ट)-क्वालीफाइंग प्रकृति। अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। एक बार जब आप टाइपिंग टेस्ट के लिए अपनी पसंद की भाषा चुनते हैं, तो इसे बाद में बदला या संशोधित नहीं किया जा सकता है, और उम्मीदवार को केवल चयनित भाषा में परीक्षा देनी होगी। इससे संबंधित किसी भी प्रश्न का बीईएल द्वारा उत्तर नहीं दिया जाएगा।

गाजियाबाद के लिए अधिसूचित पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कौशल परीक्षा और लिखित परीक्षा दिल्ली/एनसीआर में आयोजित की जाएगी।

पंचकूला के लिए अधिसूचित पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कौशल परीक्षा और लिखित परीक्षा चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी।

कोटद्वार के लिए अधिसूचित पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कौशल परीक्षा और लिखित परीक्षा देहरादून में आयोजित की जाएगी

जो उम्मीदवार कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण होंगें , उन्हें 150 अंकों की लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जिसमें निम्न खंड होंगें:

खंड -I: सामान्य योग्यता-50 अंकों में सामान्य मानसिक क्षमता और तार्किक तर्क के लिए अभिवृत्ति, विश्लेषणात्मक, समझ क्षमता, मूल संख्यात्मकता, डेटा व्याख्या कौशल और सामान्य ज्ञान शामिल हैं।

खंड -II: तकनीकी योग्यता-100 अंकों में संबंधित विषय से विशिष्ट प्रश्नों के साथ 100 प्रश्नों के साथ तकनीकी/व्यावसायिक ज्ञान परीक्षा शामिल है।

न्यूनतम अर्हक अंक इस प्रकार होंगे **-**

वर्ग	**प्रतिशत**
सामान्य /ओबीसी/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग	35%
अनुसूचित जाति/विकलांग	30%

क.) सभी प्रथम दृष्टया पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए विवरण और आवेदन शुल्क (सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लागू) प्रस्तुत करने के आधार पर लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कौशल परीक्षा व लिखित परीक्षा के बाद की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जो कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं व उनके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों तथा अन्य मापदंडों के सत्यापन पर अधिसूचित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

ख.) लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने से अंतिम चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने हेतु अभ्यर्थी को कोई अधिकार या दावा नहीं माना जाएगा। क्योंकि यह संबंधित श्रेणियों में पदों की संख्या, आरक्षण की स्थिति, लागू अनुपात और सापेक्ष निष्पादन से संबंधित है और यह पात्रता मानदंडों और अन्य मापदंडों को पूरा करने पर निर्भर करता है।

ग.) योग्यता सूची में अंकों के टाई के मामले में, तकनीकी योग्यता में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो सामान्य ज्ञान खंड में उच्च अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यदि टाई अभी भी बना रहता है, तो निर्धारित योग्यता (यानी बीबीए/बीबीएम) में प्राप्त अंकों का प्रतिशत माना जाएगा यानी ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने निर्धारित योग्यता में उच्च अंक प्राप्त किए हैं उच्च स्थान पर रखा जाएगा। यदि ऐसा फिर भी टाई बना रहता है, तो जन्म तिथि को वरीयता दी जाएगी यानी बड़े उम्मीदवार को योग्यता में उच्च स्थान दिया जाएगा।

8.0 वेतन एवं भत्ते: चयनित अभ्यर्थियों को क्रमसंख्या 1.0-पदों के कॉलम *7* में उल्लिखित वेतनमान में शामिल किया जाएगा। मूल वेतन के अलावा, अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, वार्षिक मूल वेतन पर 30% की दर से अनुलाभ, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, समूह बीमा, पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि कंपनी के नियमों के अनुसार पारिश्रमिक पैकेज का हिस्सा होंगे।

9.0 आवेदन शुल्क:

i. सामान्य / ओबीसी / ईडब्ल्यूएस श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क के रूप में रुपये 250+ 18% जीएसटी = रु. 295 (कुल योग) का भुगतान करना होगा।

ii. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग / भूतपूर्व कर्मियों को आवेदन शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है।

iii. आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा।

iv. आवेदन शुल्क जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी सभी निर्देशों और पात्रता मानदंडों को ध्यान से पढ़ें।

v. आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम यानी 'एसबीआई कलेक्ट'से किया जाना आवश्यक है।

भुगतान करने हेतु दिशानिर्देश:

बीईएल वेबसाइट में उपलब्ध भुगतान लिंक पर क्लिक करें या

1) www.onlinesbi.com पर जाएं और 'स्टेट बैंक कलेक्ट'को चुनें:
2) नियम और शर्तों को "एक्सेप्ट' करें और 'प्रोसीड'पर क्लिक करें।
3) निगम/संस्था के राज्य के लिए 'ऑल इंडिया'का चयन करें:
4) पीएसयू –पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग –भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को चुनें और 'सबमिट'को दबाएँ।
5) भुगतान हेतु श्रेणी का चयन करें: - **(पद का नाम: "Recruitment of Junior Assistant (HR) for BEL-GAD/BEL-PK/BEL-KOT")**
6) उम्मीदवारों को नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित पद के लिए आवेदन करते हुए संबंधित भुगतान श्रेणी का चयन करना होगा।

पद	भुगतान **हेतु** वर्ग का चयन
कनिष्ठ सहायक (मा.सं.), बीईएल-गाजियाबाद	Recruitment of Junior Assistant(HR) for BEL-GAD
कनिष्ठ सहायक (मा.सं.), बीईएल-पंचकुला	Recruitment of Junior Assistant(HR) for BEL-PK
कनिष्ठ सहायक (मा.सं.), बीईएल-कोटद्वार	Recruitment of Junior Assistant(HR) for BEL-KOT

उदाहरण के लिए यदि कोई अभ्यर्थी बीईएल-गाजियाबाद के लिए कनिष्ठ सहायक (मा.सं.) पद के लिए आवेदन कर रहा है, तो अभ्यर्थी को अपनी भुगतान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए " **Recruitment of Junior Assistant(HR) for BEL-GAD** " की भुगतान श्रेणी का चयन करना होगा।

1) ऊपर बताए के अनुसार भुगतान पूरा करें।
2) भुगतान रसीद का एक प्रिंट / स्क्रीनशॉट लें और सेव करें और इसे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड करें।
3) स्क्रीनशॉट के साथ विस्तृत निर्देश बीईएल की वेब साइट पर विज्ञापन के साथ दिए गए हैं।

अभ्यर्थियों को भुगतान करने के बाद सृजित 'एसबीआई कलेक्ट संदर्भ संख्या' का उल्लेख आवेदन पत्र में करना होगा तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भुगतान की रसीद अपलोड करनी होगी अन्यथा आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी और भुगतान शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में बीईएल की जिम्मेदार नहीं होगी। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं किए जाने चाहिए। अनेक आवेदन करने पर, केवल नवीनतम वैध (पूरा) आवेदन पत्र ही मान्य होगा और अन्य आवेदन के लिए अदा किया गया आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

नोट-किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर जैसे किसी गलती के कारण आवेदक के बैंक से राशि की कटौती न होना, बीईएल द्वारा विज्ञापित किसी अन्य पद के लिए भुगतान करने, किसी भी कारण से बीईएल को भुगतान प्राप्त न होना या अन्य कोई कारण जिसके लिए बीईएल उत्तरदायी नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.0 आवेदन कैसे करें:

(क) अभ्यर्थी जो विज्ञापन में दिए गए उपरोक्त पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं,वे बीईएल वेबसाइट www.bel-india.in में दिए गए ऑनलाइन लिंक का उपयोग करके आवेदन पत्र भर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक दिनांक 10.02.2025 (अपराह्न) को आवेदन करने के लिए फिर से खोला जाएगा।

(ख) पद के लिए आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। किसी भी मैनुअल/कागजी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा एवं कोई भी आवेदन हार्ड कॉपी में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11.0 सामान्य निर्देश:

1. अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अनारक्षित मानदंड के समतुल्य होगें। आयु, योग्यता, लिखित परीक्षा में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत आदि में छूट उस विशेष श्रेणी में संबंधित रिक्ति प्रदान की जाएगी जैसा कि ऊपर सूचीबद्ध है।

2. केवल वे अभ्यर्थी आवेदन करें जो पद के लिए उपरोक्त सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। हालांकि, आवेदक की उम्मीदवारी उसके द्वारा जमा किए गए सभी प्रमाणपत्रों/विवरण के सत्यापन के अधीन होगी।

3. योग्य अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा व लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।कृपया ध्यान दें कि प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा।

4. सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय "**अनापत्ति प्रमाण पत्र**"प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसकी उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

5. विज्ञापन में उल्लिखित योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / बोर्ड / परिषद / विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। जहां भी सीजीपीए/ओजीपीए/डीजीपीए या अंतिम/दीक्षांत प्रमाणपत्र में ग्रेड प्रदान किया जाता है, विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाई गई प्रणाली के अनुसार समकक्ष प्रतिशत अंकों को आवेदन पत्र में अंकित किया जाए।सीजीपीए/ओजीपीए/डीजीपीए को प्रतिशत में बदलने के लिए संस्थान/बोर्ड/परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए मानदंडों का प्रमाण दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने के दौरान एक वैध फोटो पहचान प्रमाणजैसे आधार कार्ड/ वोटर पहचान पत्र / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेन्स आदि प्रस्तुत करना होगा।

7. आवेदक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। स्वास्थ्य मानक में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति चिकित्सीय स्वस्थता के मानदंडों और मानकों के अनुसार संचालित की जाने वाली पूर्व-रोजगार चिकित्सा परीक्षा में उनके चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाए जाने के अधीन होगी।

8. कौशल परीक्षा व लिखित परीक्षा के लिए बुलाए गए सभी बाहरी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्वसैनिकों के अभ्यर्थियों को उनके पत्राचार पते/कार्यस्थल से आने-जाने (स्लीपर क्लास) के यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति सबसे छोटे मार्ग से वास्तविक टिकट प्रस्तुत करने पर की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा यह भी ध्यान दिया जाए कि बैंक खाते का विवरण, आगे की यात्रा के लिए रेलवे/बस टिकट और कौशल व लिखित परीक्षा के समय स्वयं प्रमाणित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए ताकि यात्रा भत्ता भुगतान करने के लिए संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन के बाद भुगतान किया जा सके। यात्रा के लिए यात्रा भत्ता भुगतान का दावा करने वाले एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को मूल जाति/विकलांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। ईसीएस के माध्यम से बाद की तिथि में प्रतिपूर्ति की जाएगी।

9. स्थानीय यात्रा खर्चा, यदि कोई हो, अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

10. ऑनलाइन आवेदन में घोषित करने के उपरांत श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/ भूतपूर्व सैनिक) में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. **ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर (एनसीएल) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण/छूट/रियायत** भारत सरकार द्वारा "केंद्र सरकार के पदों में नियुक्ति" के लिए निर्धारित प्रारूप में घोषणा के साथ सक्षम प्राधिकारी*** द्वारा जारी ओबीसी (एनसीएल) प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति सत्यापन के समय जमा करने के अधीन होगी। आय प्रमाण पत्र को ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। (निर्धारित प्रारूप www.bel-india.in वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं)

12. सक्षम प्राधिकारी*** द्वारा वर्ष 2024-25के लिए जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होगा। (निर्धारित प्रारूप वेबसाइट www.bel-india.in पर उपलब्ध हैं)

13. यदि किसी आवेदक ने अतीत में अपने नियोक्ता या बीईएल पर कोई मुकदमा दायर किया है, तो संक्षेप में उसका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए।

14. अधूरे और निर्धारित शुल्क के बिना भेजे गए ऑनलाइन आवेदनों को बिना कोई कारण बताए सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जायेगा और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

15. अभ्यर्थियों के पास एक वैध और सक्रिय ई-मेल आईडी होना आवश्यक है, जिसका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया जाना है। लिखित परीक्षा और अन्य पत्राचार से संबंधित जानकारी अभ्यर्थी द्वारा दी गई ईमेल आईडी पर ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को अपनी ई-मेल आईडी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देनी है । अभ्यर्थियों को भेजे गए किसी भी ई-मेल के बाउंस

होने के लिए,अमान्य ई-मेल आईडी के कारण ई-मेल प्राप्त न होने, उम्मीदवारों द्वारा किए गए सेटिंग विकल्पों आदिके लिए बीईएल जिम्मेदार नहीं होगी और इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

16. ओएमआर शीट की पुनः जाँच/पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।

17. मोबाइल फोन /पेजर/ आईपैड /आईपॉड/टैबलेट/कैलकुलेटर या ऐसा कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा हॉल के अंदर लाना मना है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इसे परीक्षा हॉल में न ले जाएं। परीक्षा हॉल के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को रखने के कारण अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

18. अभ्यर्थी की पात्रता,पात्रता की जांच किए जाने वाले चरणों में,योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड संबंधी सभी मामलों में बीईएल के निर्णय अभ्यर्थी पर अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

19. चयन प्रक्रिया के सभी चरणों में उम्मीदवारी अनंतिम प्रकृति की होगी। न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने मात्र से **अभ्यर्थी** कौशल/लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाने के अधिकारी नहीं होंगे ।

20. चयन के समय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ऊपर बताए गए किसी भी मानदंड, चयन की विधि और पदों की संख्या को बदलने (रद्द/संशोधित/जोड़ने) का अधिकार बीईएल को है

21. उपर्युक्त विज्ञापन का कोई भी संशोधन, स्पष्टीकरण, परिशिष्ट, समय विस्तारण आदि बीईएल वेबसाइट पर ही दिया जाएगा तथा प्रेस में अलग से कोई अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं को अद्यतित करने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखें।

22. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में या कार्यग्रहण करने के बाद, यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना विज्ञापन में उल्लिखित मानदंडों के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को रद्द किया सकता है। यदि बीईएल को इस आशय का कोई साक्ष्य/जानकारी प्राप्त होती है कि आवेदन/अन्य प्रपत्र/प्रारूप/घोषणा में उल्लिखित योग्यता, अनुभव और कोई अन्य विवरण मान्यता प्राप्त/असत्य/भ्रामक है और/या सूचना/विवरण को दबाने के समतुल्य है जिसे बीईएल को बताया जाना चाहिए था तो भी अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को रद्द किया सकता है।

23. किसी भी प्रकार के प्रचार का परिणाम अयोग्यता हो सकता है । बीईएल किसी भी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में, किसी भी कारण से अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जाता ।

24. यदि इस विज्ञापन के किसी भी संस्करण में खंडों की व्याख्या के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो बीईएल वेबसाइट पर उपलब्ध अंग्रेजी संस्करण को ही मान्य माना जाएगा ।

25. भर्ती प्रक्रिया सहित इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद उत्तर प्रदेश में स्थित न्यायालयों के एकाधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

26. इस प्रक्रिया से संबंधित आगे की सभी घोषणाएं/विवरण समय-समय पर बीईएल की वेबसाइट www.bel-india.in पर प्रकाशित/उपलब्ध कराए जाएंगे।

27. अभ्यर्थी को निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगें :

i. स्कैन की गई हाल ही की रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो व हस्ताक्षर ।

ii. जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में एसएसएलसी/एसएससी/आईएससी अंक कार्ड या कोई अन्य वैध दस्तावेज।

iii. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीडब्ल्यूडी / ईडब्ल्यूएस से संबंधित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में अपना प्रमाण पत्र जमा करना होगा।.

iv. ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को दिये गए प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी*** द्वारा सत्यापित दिनांक 01.11.2023 या उसके बाद की तिथि का सामुदायिक प्रमाणपत्र जमा करना करना आवश्यक है और सक्षम प्राधिकारी***द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। (निर्धारित प्रारूप वेबसाइट www.bel-india.in पर उपलब्ध हैं)।

v. कम से कम 40 प्रतिशत की प्रासंगिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी केवल पीडब्ल्यूडी के रूप में आरक्षण और छूट के पात्र होंगे। विकलांगता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया जाना चाहिए। (निर्धारित प्रारूप वेबसाइट www.bel-india.in पर उपलब्ध हैं)।

vi. अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि सरकार / अर्ध सरकारी / पीएसयू में कार्यरत है) , यदि लागू हो तो।

vii. पदों के लिए आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को भारतीय सशस्त्र बलों (सेना/नौसेना/वायु सेना) से संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी डिस्चार्ज बुक अपलोड करनी होगी।

viii. सीजीपीए को प्रतिशत में बदलने के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपनाए गए मानदंडों का प्रमाण,यदि लागू हो तो।

ix. बीबीए /बीबीएम (जो लागू हो) का प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष/सेमेस्टर का अंक कार्ड।

x. सक्षम प्राधिकारी / बोर्ड द्वारा जारी बीबीए /बीबीएम में डिप्लोमा पूरा करने संबंधी अंतिम प्रमाण पत्र / दीक्षांत समारोह प्रमाण पत्र।

xi. उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड/हरियाणा राज्य के रोजगार कार्यालय में वैध रोजगार पंजीकरण कार्ड।

लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर, अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किए गए / चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा और निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करनी होंगी।

किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए ई-मेल आईडी : belgzb1@jobapply.in पर संपर्क करें।

प्रमुख तिथियाँ :

आवेदन का आरंभ	10.02.2025
आवेदन की अंतिम तिथि	25.02.2025

*** अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (नॉन-क्रीमी लेयर) और निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ओबीसी / ईडब्ल्यूएस से संबंधित अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा: -

i. जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।

ii. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

iii. तहसीलदार पद से ऊपर के राजस्व अधिकारी

iv. उस क्षेत्र के उप-मंडलीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यत: रहता है।

बीईएल में भर्तीकी प्रक्रिया एक सुदृढ़ और पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें चयन मानदंड पूरी तरह से अभ्यर्थी की योग्यता पर आधारित होता है। बीईएल इस विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन शुल्क के अतिरिक्त भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी शुल्क की मांग नहीं करता या धन जमा करने का अनुरोध नहीं करता है। हम नौकरी ढूँढने वालों से आग्रह करते हैं कि वे हमारी कंपनी के प्रतिनिधि होने और बीईएल में रोजगार के बदले भुगतान की मांग करने वाले धोखेबाजों द्वारा किए गए किसी भी सम्प्रेषण से गुमराह न हों। कंपनी ऐसे धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं है।

बीईएल को ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई सहित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है।